**विधानसभा घोषणा**

सत्यमेव जयते

**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(पंचायती राज)**

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141–2227884,
ई–मेल : seprd1235@gmail.com, rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (527) पंरावि/पीसी/solar street light/2017/07882 जयपुर, दिनांक :

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
**जिला परिषद–समस्त।**

**विषय :–**ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से स्ट्रीट लाइट/रोड लाइट व्यवस्था स्थापित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग द्वारा विभाग की मांगों पर चर्चा दिनांक 26.02.2026 को विधानसभा में घोषणा की गई कि "राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकालीन अंधकार की समस्या के समाधान हेतु चरणबद्ध रुप से समस्त ग्रामों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जिससे प्रत्येक गांव प्रकाशमान हो सके तथा आमजन को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो।"

उक्त घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट/रोड लाइट व्यवस्था स्थापित करने हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना निर्धारित की जाती है।

1. **उद्देश्य**

- ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि के समय सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करना।
- ग्रामों की मुख्य बस्तियों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना।
- विद्युत आपूर्ति की कमी वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट/रोड लाइट की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाओं एवं आपराधिक गतिविधियों की संभावना को कम करना तथा ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.06.03 22:13:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21913861
M e-Sign

2. **क्रियान्वयन क्षेत्र एवं प्राथमिकता**

प्रत्येक ग्राम पंचायत में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों, आबादी क्षेत्र, बाजार, मुख्य मार्ग, आंतरिक मार्ग एवं अन्य महत्वपूर्ण उपयोग के स्थलों पर चरणबद्ध रूप से स्ट्रीट लाइट/रोड लाइट लगाने की कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु मुख्य ग्राम पंचायत व ग्राम की प्राथमिकता निम्नानुसार होगीः–

- ग्राम पंचायत मुख्यालय।
- ग्राम पंचायत के बड़ी आबादी वाले ग्राम

उपरोक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत के सभी गावों में स्ट्रीट लाइट/रोड लाइट लगाई जावे। उक्त गावों में कार्य प्रारम्भ होने की प्राथमिकता निम्नानुसार हैः–

- कच्ची बस्तियां/कमजोर वर्ग की बस्तियां/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की बस्तियां
- मुख्य मार्ग, बाजार, बस स्टैण्ड, पंचायत भवन, विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र आदि सार्वजनिक स्थान।

3. **स्ट्रीट लाइट की स्थापना**

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार एलईडी स्ट्रीट लाईट अथवा सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाईट स्थापित की जाएगी।

(क) एलईडी स्ट्रीट लाइटः– इस हेतु उचित स्थान यथा :– विद्युत वितरण निगम के खम्भे पर नियमानुसार एल.ई.डी. लाईट लगाई जाएगी। एल.ई.डी. स्ट्रीट का चयन सड़क की चौड़ाई के अनुसार किया जाएगा।

(ख) सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटः– जहां विद्युत पोल उपलब्ध नहीं हैं अथवा विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं है अथवा विद्युत वितरण का नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट स्थापित की जा सकती है। सोलर स्ट्रीट लाइट के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक होने की स्थिति में ग्रिड संरचना भी स्थापित की जा सकेगी।

4. **एल.ई.डी. लाइट हेतु विद्युत कनेक्शन एवं संचालन व्यवस्था**

- स्ट्रीट लाइट/रोड लाइट हेतु विद्युत कनेक्शन ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाएगा।
- विद्युत कनेक्शन स्थानीय सुगमता यथा ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार, क्षेत्रवार आदि से लिया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.06.03 22:13:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21913861
M e-Sign

5. **व्यय का प्रबंधन**

- यह कार्य प्राथमिकता का विषय है। अतः केन्द्र व राज्य मद की अनुदान राशि के अनुमत मद से प्रकाश व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता से सम्पादित कराए जावेगें।

- राज्य वित्त आयोग षष्ठम/सप्तम अंतर्गत जारी विभागीय दिशा–निर्देशों में मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली 55 प्रतिशत राशि से ग्राम पंचायतों में सडकों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उचित प्रकाश व्यवस्था एवं राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली 40 प्रतिशत राशि का उपयोग रोड लाईट/स्ट्रीट लाईट के अंतर्गत किया जाना अनुमत है।

6. **कार्यों की स्वीकृतियां जारी करना**

- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को प्राप्त अनुदान राशि एवं अन्य क्षेत्रीय योजनायें, जिसमें प्रकाश व्यवस्था का कार्य अनुमत है, से आवश्यक स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी।

- स्ट्रीट लाइट/रोड लाइट कार्यों हेतु तकनीकी स्वीकृति जारी करने का अधिकार अनुमत सीमा तक SOP के अनुसार होगा।

- प्रकाश व्यवस्था का कार्य यदि ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP Plan) में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो उक्त कार्य को अनिवार्य रूप से Supplementary Plan में सम्मिलित किया जावे।

- एक ग्राम पंचायत द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जितनी लाईट लगाई जानी है, उनको एक कार्य मानते हुए नियमानुसार स्वीकृति जारी करना।

7. **ई–पंचायत पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वयन**

योजना के पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त कार्यवाही ई–पंचायत पोर्टल के माध्यम से की जाएगी:–

- प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना।

- राशि भुगतान

- कार्य के जियो–टैगिंग एवं फोटो अपलोड करना

- ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं प्रगति समीक्षा

7. **मॉनिटरिंग एवं समीक्षा**

- जिला स्तर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायती राज, इसके नोडल अधिकारी होगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.06.03 22:13:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21913861
M e-Sign

- इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग द्वारा समय–समय पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

**उपरोक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।**

**भवदीय**

**(डॉ जोगा राम )**
**शासन सचिव एवं आयुक्त**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपंराज।
4. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
8. अधीशाषी अभियन्ता, पंचायती राज विभाग जिला परिषद् समस्त।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, पराव‍ि को विभाग की पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
10. जिला प्रमुख/प्रधान/प्रशासक, पंचायत समिति समस्त।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.06.03 22:13:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21913861

M e-Sign